न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy- Not Official

प्रकरण संख्या : 81/2018

1. यशस्वी तंवर पुत्री जयसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बारां हाल मुकाम नटराज नगर कोटा रोड बारां जिला बारां नाबालिग जर्ये वली माता स्वयं श्रीमति निशा तंवर पत्नि जयसिंह जाति राजपूत निवासी नटराज नगर कोटा रोड बारां जिला बारां
2. आर्यवीर सिंह पुत्र शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बारां हाल मुकाम मं0 नं0 बी0 63 रिद्धि सिद्धि नगर कुन्हाडी कोटा जिला कोटा नाबालिग जर्ये वली माता श्वेता तंवर पत्नि शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी बी0 63 रिद्धि सिद्धि नगर कुन्हाडी कोटा जिला कोटा

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बारां हाल मुकाम बस स्टेण्ड सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
2. शिवराज सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बारां हाल मुकाम बी0 63 रिद्धि सिद्धि नगर कुन्हाडी कोटा जिला कोटा
3. जयसिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल हाल मुकाम नटराज नगर कोटा रोड बारां जिला बारां
4. छवि कंवर पुत्री जितेन्द्र सिंह जाति राजपूत नाबालिग जर्ये वली माता अम्बिका तंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बस स्टेण्ड सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
5. राजेन्द्र सिंह } पिसरान उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी श्रीनाल तह0 मांगरोल
6. विजय बहादुर सिंह } जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते दुरुस्ती खाता हिस्सा व घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील प्रतिवादी कम 1 ता 4 : श्री हरिओम यादव — निर्णय दिनांक : 09.08.2013
दायरा दिनांक: 16.07.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण और प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। अपने–अपने हिस्से की आराजी को काश्त कर रहे है विधि अनुसार बंटवारा नही हुआ है। लेकिन वादी और प्रतिवादी नं0 1 ता 6 आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा करके उसी अनुरूप मौके पर आराजी पर काबिज काश्त है, और काश्त कर रहे है। आराजी शामलाती खाता होने पर भी सहखातेदारो में कभी भी कब्जे काश्त को लेकर विवाद नही हुआ है। लेकिन राजस्व जमाबंदी में सहखातेदारो के अलग–अलग हिस्से दर्ज नही है जिससे ऋण लेने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। तथा वादनी 1 को 35 बीघा आराजी जब उसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी तो उकसे पिता जयसिंह

इच्छा से उसको जन्म दिन पर उपहार स्वरूप भेंट की थी, जिसको उसकी माता निशा तंवर अलग से
ही काश्त करके उससे प्राप्त आय उसकी परवरिश पर खर्च कर रही है, लेकिन अब प्रतिवादी क्रम 3
आराजी को देने से मना करने लगे है। इसी प्रकार वादी नं0 2 को भी 35 बीघा आराजी उसके पिता
शिवराज सिंह ने जन्म दिन के समय उपहार स्वरूप भेंट की थी, तथा उसकी माता श्वेता तंवर से कहा था
कि दो पुत्रियों के बाद अपने घर में पुत्र का जन्म हुआ है, यह 35 बीघा आराजी उसके नाम ही मैने कर दी
है। उसकी कमाई से बच्चे आर्यवीर सिंह की परवरिश करना लेकिन अब प्रतिवादी नं0 2 आराजी वादी नं0
2 को नही देना चाहते है, और उसकी माता से आराजी छीन ली है, तथा धमकी दी है कि कोई आराजी
नही है, किसी को कुछ नही दूंगा सारी आराजी बैचकर घर छोडकर चला जाऊंगा। दिनांक 11.01.1991 को
सिवायचक लगानी से आराजी सिंलिंग से मुक्त करके पुनः उनके खातेदारों को लोटाये जाने के आदेश
इन्तकाल नं0 3 से दिनांक 05.03.1991 को किये गयें। तथा इन्तकाल में सहखातेदारों प्रहलाद सिंह, राजन्द्र
सिंह, विजय बहादुर सिंह पुत्र कंचन बेवा उम्मेद सिंह जनक कंवर पत्नि रणधीर सिंह, और गेन्दी बाई बेवा
गोपाल सिंह के नाम दर्ज है। इनमें से इं0 नं0 4 से जनक कंवर पत्नि रणधीर सिंह को अलग आराजी दे
दी तथा उनका खाता अलग हो गया, शेष सहखातेदारान के नाम से जमाबंदी सम्वत 2048 से 2051 बनाई
गई। उक्त समस्त आराजी ग्राम श्रीनाल तह0 मांगरोल की है, जो चक ए व चक बी में बंटी हुई है।
जमाबंदी सम्वत 2048 से 2051 ग्राम श्रीनाल तहसील मांगरोल के चक ए में कुल किता 32 रकबा 13.95
है0 व चक बी में कुल किता 17 रकबा 34.32 है0 आराजी है, और दोनो राजस्व रेकार्ड में सहखातेदारान के
हिस्से इस प्रकार से हैः–

01. प्रहलाद सिंह, राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह पुत्र कंचन बाई बेवा उम्मेद सिंह 1/4
02. स्वरूप बाई बेवा जालिम सिंह 1/4
03. गेन्दी बाई बेवा गोपाल सिंह 1/4
04. मरूधर कंवर पत्नि अर्जुन सिंह 1/4

अर्थात सभी सहखातेदारान 1/4, 1/4 हिस्से में दर्ज होना चाहिए।

जमाबंदी ग्राम श्रीनाल चक ए व चक बी सम्वत 2052 से 2055 में कुल किता 33 रकबा 14.28 है0 चक ए
में दर्ज है, तथा चक बी. में कुल किता 11 रकबा 30.34 है0 सहखातेदारान के निम्न प्रकार हिस्सा दर्ज होना
चाहिएः–

1. प्रहलाद सिंह, राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह पुत्र, कंचन बाई बेवा उम्मेद सिंह 1/4
2. स्वरूप कंवर बेवा जालिम सिंह हिस्सा 1/4 } 1/2
3. गेन्दी बाई बेवा गोपाल सिंह हिस्सा 1/4
4. मरूधर कंवर पत्नि अर्जुन सिंह हिस्सा 1/4

इन्तकाल नं0 41 से सहखातेदारान स्वरूप कंवर व गेन्दी बाई ने अपना अपना हिस्सा 1/4 जयसिंह व
शिवराज सिंह को दे दिया तथा इनके स्थान पर जय सिंह व शिवराज सिंह हिस्सा 1/2 दर्ज हो गया।
जमाबंदी ग्राम श्रीनाल चक ए व चक बी सम्वत 2056 से 2059 में चक ए में आराजी कुल किता 33 रकबा
14.28 है0 तथा चक बी, में आराजी कुल किता 19 रकबा 39.60 है0 दर्ज की गई तथा सहखातेदार व
हिस्सा इस प्रकार दर्ज होगा। इं0 नं0 55 व 56 से अलग अलग चक में मृतक प्रहलाद सिंह के स्थान पर
उसके पुत्र जितेन्द्र सिंह, जय सिंह, शिवराज सिंह पत्नि नीलिमा बाई का नाम दर्ज किया गया और मृतक
भवंर बाई बेवा उम्मेद सिंह का नाम खाते में से हटाया गया व हिस्सा सहखातेदारान में निम्न प्रकार होगा।

जितेन्द्र सिंह, जय सिंह, शिवराज सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, नीलिमा कंवर पत्नि प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/12

02. राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह पि० उम्मेद सिंह हिस्सा 1/6

03. शिवराज सिंह जयसिंह पि० प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/2 मरूधर कंवर पत्नि अर्जुन सिंह हिस्सा 1/4 जमाबंदी सम्वत 2060 से 2063 ग्राम श्रीनाल चक ए व चक बी में दर्ज आराजी चक ए में कुल किता 32 रकबा 13.35 है० व चक बी में कुल किता 19 रकबा 39.60 है० सहखातेदारान में दर्ज की गई सहखातेदारान के हिस्सा निम्न प्रकार से होना चाहिए।

01. जितेन्द्र सिंह, जय सिंह, शिवराज सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हिस्सा 3/48

02. छवि कंवर पुत्री जितेन्द सिंह वली माता अम्बिका तंवर हिस्सा 1/48

03. राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह, पि. उम्मेद सिंह हिस्सा 1/6

04. शिवराज सिंह, जयसिंह पि० प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/2

05. मरूधर कंवर पत्नि अर्जुन सिंह हिस्सा 1/4 जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 ग्राम श्रीनाल चक ए व चक बी में दर्ज आराजी चक ए में कुल किता 27 रकबा 10.97 है० व चक बी में कुल किता 18 रकबा 33.00 है० आराजी स्थित है, सहखातेदारान के हिस्से इस प्रकार होंगे। क्योकि इं० नं० 193 दिनांक 05.11.2014 से सहखातेदारान मरूधर पत्नि अर्जुन सिंह ने अपने हिस्सा का हम त्याग जितेन्द्र सिंह, जयसिंह, शिवराज सिंह पिसरान प्रहलाद सिंह के पक्ष में कर दिया है।

01. जितेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हिस्सा 5/48

02. जय सिंह, शिवराज सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हिस्सा 17/24

03. छवि कंवर पुत्री जितेन्द्र सिंह हिस्सा 1/48 नाबा० वली माता स्वयं अम्बिका तंवर

04. राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह पिसरान उम्मेद सिंह हिस्सा 1/6 हाल जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 में दर्ज सहखातेदारान का हिस्सा चक ए व चक बी में निम्न प्रकार होगा।

01. जितेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हिस्सा 5/48

02. जय सिंह, शिवराज सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हिस्सा 17/24

03. छवि कंवर पुत्री जितेन्द्र सिंह हिस्सा 1/48 नाबा० वली माता स्वयं अम्बिका तंवर

04. राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह, पिसरान उम्मेद सिंह हिस्सा 1/6 खाता संख्या नया 15 ग्राम श्रीनाल चक ए में दर्ज किता 27 कुल आराजी 10.97 है० में प्रतिवादी नं० 2 व 3 का शामलाती हिस्सा 17/24 में सें वादीगण को अलग अलग 10 बीघा, 10 बीघा भूमि कुल 20 बीघा शामलाती हिस्सा 17/24 में से दिलाई जाकर वादीगण के खाते में दर्ज किया जाकर वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जावें।

खाता संख्या नया 17 ग्राम श्रीनाल चक बी में दर्ज कुल किता 18 कुल रकबा 33.00 है० में प्रतिवादी नं० 2 व 3 का शामलाती हिस्सा 17/24 में से वादीगण को अलग अलग 25 बीघा कुल 50 बीघा आराजी दिलाई जाकर वादीगण के पृथक से दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण नं० 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें।

अतः वादीगण के पक्ष में बहक प्रतिवादी नं० 2 व 3 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमावें कि:–

01. खाता संख्या 15 हाल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी ग्राम श्रीनाल के चक ए में दर्ज कुल किता 27 रकबा 10.97 है० में निम्न प्रकार से हिस्सा दर्ज सहखातेदार किया जावें:– जितेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह

हिस्सा 5/48, जय सिंह, शिवराज सिंह पुत्रान प्रहलाद सिंह हिस्सा 17/24, छवि कंवर पुत्री
जितेन्द्र सिंह नाबा हिस्सा 1/48 वली माता अम्बिका तंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह, राजेंन्द्र सिंह, विजय
बहादुर सिंह पुत्रान उम्मेद सिंह हिस्सा 1/6 साकिन देह।

02. खाता संख्या 17 हाल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी ग्राम श्रीनाल चक बी में दर्ज कुल किता 18 रकबा
33.00 है0 में निम्न प्रकार से हिस्सा सहखातेदारान दर्ज किया जावेगाः– जितेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद
सिंह हिस्सा 5/48 जय सिंह, शिवराज सिंह पुत्रान प्रहलाद सिंह हिस्सा 17/24, छवि कंवर पुत्री
जितेन्द्र सिंह नाबा हिस्सा 1/48 वली माता अम्बिका तंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, विजय
बहादुर सिंह पुत्रान उम्मेद सिंह हिस्सा 1/6 साकिन देह।

03. खाता संख्या 15 ग्राम श्रीनाल चक ए में दर्ज कुल आराजी 10.97 है0 में से प्रतिवादी नं0 2 व 3 के
हिस्सा 17/24 में से वादी नं0 1 व 2 को अलग–अलग 10 बीघा, 10 बीघा कुल 20 बीघा आराजी
दिलवाई जाकर वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार दर्ज किया जाकर वादीगण का
पृथक से हिस्सा दर्ज किया जावें।

04. खाता संख्या 17 ग्राम श्रीनाल चक बी में दर्ज कुल किता 18 रकबा 33.00 है0 में प्रतिवादी नं0 2 व
3 के हिस्सा 17/24 में से वादी नं0 1 व 2 को पृथक पृथक 25 बीघा–25 बीघा कुल 50 बीघा
भूमि दिलवाई जाकर प्रतिवादी के साथ सहखातेदारान घोषित किया जाकर वादीगण का हिस्सा
खाते में दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 16.07.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। वकील
प्रतिवादी कम 1 ता 4 श्री हरिओम यादव ने जवाबदावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि
प्रतिवादी कम 1 ता 4 को वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है वादीगण को आराजी देने में भी उन्हे
कोई आपत्ति नही है और न्यायालय से निवेदन किया कि उनका काउण्टर क्लमें स्वीकार किया जावें। वाद
वादीगण स्वीकार किया जाकर सहखातेदारो के मध्य हिस्सा दर्ज करने व वादी कम 1 व 2 को
सहखातेदारों के रूप में खाता में दर्ज करने में कोई आपत्ति नही है।

वादीगण ने साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 निशा तंवर व पीडब्ल्यू 2 श्वेता तंवर के बयान करवाये है, तथा
दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये है।

प्रदर्शः– 1 इंतकाल नं0 3 श्रीनाल
प्रदर्शः– 2 इंतकाल नं0 4 ग्राम श्रीनाल
प्रदर्शः– 3 जमाबंदी सम्वत 2048–2051 ग्राम श्रीनाल चक ए
प्रदर्शः– 4 जमाबंदी सम्वत 2048–2051 ग्राम श्रीनाल चक बी
प्रदर्शः– 5 जमाबंदी सम्वत 2052–2055 ग्राम श्रीनाल चक ए
प्रदर्शः– 6 जमाबंदी सम्वत 2052–2055 ग्राम श्रीनाल चक बी
प्रदर्शः– 7 जमाबंदी सम्वत 2056–2059 ग्राम श्रीनाल चक ए
प्रदर्शः– 8 जमाबंदी सम्वत 2056–2059 ग्राम श्रीनाल चक बी
प्रदर्शः– 9 जमाबंदी सम्वत 2060–2063 ग्राम श्रीनाल चक ए
प्रदर्शः– 10 जमाबंदी सम्वत 2068–2071 ग्राम श्रीनाल चक ए
प्रदर्शः– 11 जमाबंदी सम्वत 2068–2071 ग्राम श्रीनाल चक बी

प्रदर्श– 12 जमाबंदी सम्वत 2072–2075 ग्राम श्रीनाल चक ए

प्रदर्श– 13 जमाबंदी सम्वत 2072–2075 ग्राम श्रीनाल चक बी

प्रदर्श– 14 नाटिस धारा 80 सीपीसी जिला कलक्टर साहब

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण को राजस्व रेकार्ड के बारे में बताया कि प्रदर्श 1 इंतकाल नं0 3 ग्राम श्रीनाल तहसील मांगरोल है जिसके सहखातेदार प्रहलाद सिंह, राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह, उम्मेद सिंह व कंचन बाई बेवा उम्मेद सिंह, जनक कुवंर मुरधर कंवर पत्नि अर्जुन सिंह, स्वरूप कुवंर बेवा जालिम सिंह व गेन्दी बाई बेवा गोपालसिंह का नाम दर्ज है।

जनक कंवर पत्नि रणधीर सिंह प्रदर्श–2 इंतकाल से खाता अलग होने के पश्चात नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में पृथक से दर्ज हो जाता है, और शेष सहखातेदार का नाम प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत 2048–2051 में आ जाता है, जिसमें हिस्सा इस प्रकार होगा प्रहलाद सिंह, राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह पुत्र, कंचन बाई बेवा उम्मेद सिंह हिस्सा 1/4, स्वरूप कुंवर बेवा जालिम सिंह हि0 1/4 गेन्दी बाई बेवा गोपाल सिंह हि0 1/4 ओर मुरधर कंवर पत्नि अर्जुन सिंह हिस्सा 1/4।

वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में बताया कि सहखातेदारों के मध्य आराजी चक ए व चक ब ग्राम श्रीनाल में स्थित है अर्थात सहखातेदारों में जो हिस्सा होगा वह हिस्सा चक ए की आराजी व चक बी की आराजी में समान रूप से होगा।

तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड जमाबंदी चक ए व चक बी श्रीनाल सम्वत 2052–2055 प्रदर्श 5 व 6 है जिसमे इं0 नं0 41 से सहखातेदार स्वरूप कुंवर व गेन्दी बाई ने अपना अपना हिस्सा 1/4 जयसिंह व शिवराजसिंह को दिए जाने पर स्वरूप कुंवर व गेंदी बाई का नाम खाते से विलोपित हो गया ओर इनके स्थान पर सहखातेदार जयसिंह शिवराज सिंह पिसरान उम्मेद सिंह का नाम दर्ज हो गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ता ने आगे राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी सम्वत 2056–59 ग्राम श्रीनाल तह0 मांगरोल चक ए व चक बी प्रदर्श 7 व प्रदर्श 8 का अवलोकन कराया जिसमें बताया कि प्रहलाद सिंह की मृत्यु व भंवरबाई बेवा उम्मेद सिंह की मृत्यु हो जाने पर इं0 नं0 5 व 6 से मृतक प्रहलाद सिंह के स्थान पर उनके पुत्र जितेन्द्र सिंह, जयसिंह, शिवराज सिंह व पत्नि निलिमा बाई का नाम दर्ज किया गया तथा मृतक कंचन बाई व भंवर बाई बेवा उम्मेद सिंह का नाम दोनो खातों चक ए व चक ब से हटा दिया गया अम हिस्सा खाता चक ए चक ब में निम्न प्रकार होगा।

01. जितेन्द्र सिंह, जयसिंह, शिवराज सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, निलिमा कंवर पत्नि प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/12
02. राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह हिस्सा 1/6
03. जयसिंह, शिवराज सिंह हि0 1/2
04. मुरधर कंवर पत्नि अर्जुन सिंह हि0 1/4

उभय पक्ष ने न्यायालय को सम्वत 2060–2063 ग्राम श्रीनाल चक ए व चक ब प्रदर्श 9 जमाबंदी का अवलोकन करवाया ओर बहस मे बताया कि सहखातेदार निलिमा कुवंर बेवा प्रहलाद सिंह ने अपना हिस्सा अपनी पौत्री छवि कंवर पुत्री जितेन्द्र सिंह के नाम कर देने से खातों में हिस्सा निम्न प्रकार होगाः–

01. जितेन्द्र सिंह, जय सिंह, शिवराज सिंह, पुत्र प्रहलाद सिंह हिस्सा 3/48

03. छवि कंवर पुत्री जितेन्द्र सिंह वली माता अम्बिका तंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह हि0 1/48
04. राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह, पि0 उम्मेदसिंह हिस्सा 1/6
04. शिवराज सिंह, जयसिंह पि0 प्रहलाद सिंह हि0 1/2
05. मुरधर कंवर उर्फ मरूधरा कंवर पत्नि अर्जुन सिंह हि0 1/4

दोनो वकील वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि जमाबंदी सम्वत 2068–2071 ग्राम श्रीनाल चक ए व चक ब प्रदर्श 10 व प्रदर्श 11 है, जिसमें आराजी चक ए में कुल किता 27 रकबा 10.97 है0, चक ब में कुल किता 18 रकबा 33.00 है0 सहखातेदारान के दर्ज हो रही है, इं0 नं0 193 दिनांक 05.11.2014 से सहखातेदारान मुरधर कुवंर ने अपने हिस्से 1/4 का हक त्याग अपने भाई के पुत्रो जितेन्द्र सिंह, जयसिंह, शिवराजसिंह के पक्ष में कर देने से मरूधरा कुवंर का नाम राजस्व रेकार्ड सें हटा दिऐ जाने पर खाते की हिस्सा स्थिति सहखातेदारान के मध्य निम्न प्रकार से होगीः–

01. जितेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिं0 हि0 5/48
02. जयसिंह, शिवराज सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हि0 17/24
03. छवि कंवर पुत्री जितेन्द्र सिंह ना0बा0 जर्ये वली माता अम्बिका तंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह हि0 1/48
04. राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह हि0 1/6

उपरोक्त प्रकार से ही सम्वत 2072–2075 ग्राम श्रीनाल तह0 मांगरोल जिला बारां के चक ए व चक ब प्रदर्श 12 व प्रदर्श 13 में हिस्सा खाता होगा।

उभयपक्ष को वादी कम 1 यशस्वी तंवर व वादी क्रम 2 आर्यवीर सिंह को अपने हिस्से की आराजी 17/24 में से जयसिंह व शिवराज सिंह को देने में कोई आपत्ति नही है, जयसिंह व शिवराज सिंह दौनो ही चक अ की आराजी 10.97 है0 में अपना बना हिस्सा 17/24 में से पृथक पृथक 10 बीघा–10 बीघा आराजी वादीगण को देना चाहते है इसी प्रकार चक ब में दर्ज आराजी 33.00 है0 में से अपना हिस्सा 17/34 में से 25 बीघा–25 बीघा आराजी पृथक–पृथक वादीगण को दे रहे है।

उभयपक्ष ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी कम 2 व 3 कमशः शिवराज सिंह जयसिंह पि0 प्रहलाद सिंह के द्वारा अपने हिस्से 17/24 में से वादी कम 1 व वादी क्रम 2 को पृथक–पृथक दौनो खातों चक ए व चक ब को मिलाकर 10 + 25 = 35 बीघा आराजी देने पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी ग्राम श्रीनाल तह0 मांगरोल जिला बारां के प्रदर्श में खाता सं0 15 चक अ हिस्सा स्थिति निम्न प्रकार होगी जिसमें कुल किता 27 रकबा 10.97 है0 आराजी दर्ज है।

01. जितेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हि0 5/48
02. जयसिंह, शिवराज सिंह पुत्रान प्रहलाद सिंह हिस्सा 969/2318
03. छविकंवर पुत्री जितेन्द्र सिंह ना0बा0 वली माता स्वयं अम्बिका तंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह हि0 1/48
04. राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह पिसरान उम्मेद सिंह हि0 1/6
05. यशस्वी तंवर पुत्री जयसिंह ना0 बा0 जर्ये वली माता निशा तंवर पत्नि जय सिंह हिस्सा 95/582

06. आर्यवीर सिंह पुत्र शिवराज सिंह ना0बा0 जर्ये वली माता श्वेता तंवर पत्नि शिवराज सिंह हि0 85/582

व खाता संख्या 17 ग्राम श्रीनाल तह मांगरोल में चक ब में दर्ज कुल आराजी किता 18 रकबा 33.00 है0 में हिस्सा सहखातेदार निम्न प्रकार से होगा।

01. जितेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हि0 5/48
02. जयसिंह, शिवराज सिंह पुत्रान प्रहलाद सिंह हि0 1309/2808
03. छविकंवर पुत्री जितेन्द्र सिंह ना0बा0 वली माता स्वयं अम्बिका तंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह हि0 1/48
04. राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह पिसरान उम्मेद सिंह हि0 1/6
05. यशस्वी तंवर पुत्री जयसिंह ना0 बा0 जर्ये वली माता निशा तंवर पत्नि जय सिंह हिस्सा 85/702
06. आर्यवीर सिंह पुत्र शिवराज सिंह ना0बा0 जर्ये वली माता श्वेता तंवर पत्नि शिवराज सिंह हि0 85/702

अतः न्यायालय वकील उभयपक्ष की बहस व राजस्व रेकार्ड से सहमत होकर वाद–वादीयागण व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी कम 1 ता 4 स्वीकार किया जाकर वादिया कम 1 व वादिया कम 2 कमशः यशस्वी तंवर पुत्री जयसिंह नाबा जर्ये वली माता निशा तंवर पत्नि जयसिंह जाति राजपूत नि0 श्रीनाल तह0 मांगरोल व आर्यवीर सिंह पुत्र शिवराज सिंह ना0बा0 जर्ये वली माता श्वेता तंवर पत्नि जय सिंह जाति राजपूत नि0 श्रीनाल तह0 मांगरोल जिला बारां को खाता संख्या 15 चक अ व खाता सख्या 17 चक ब में दर्ज आराजी में हिस्सा कमशः 85/582, 85/702 का सहखातेदार घोषित किया जाता है।

(ब) ग्राम श्रीनाल तह0 मांगरोल जिला बारां में स्थित खाता संख्या 15 चक अ में निम्न प्रकार से सहखातेदारान का हिस्सा दर्ज किऐ जाने के आदेश दिये जाते है:– " जितेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह राजपूत हि0 5/48, जयसिंह शिवराज सिंह पुत्रान प्रहलाद सिंह राजपूत हि0 969/2318, छविकंवर पुत्री जितेन्द्र सिंह राजपूत ना0बा0 जर्ये वली माता अम्बिका तंवर पत्नि जीतेन्द्र सिंह हिस्सा 1/48, राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह पुत्रान उम्मेदसिंह राजपूत हिस्सा 1/6 यशस्वी तंवर पुत्री जयसिंह नाबा0 जर्ये वली माता निशा तंवर पत्नि जय सिंह राजपूत हि0 85/582, आर्यवीर सिंह पुत्र शिवराज सिंह नाबा0 जर्ये वली माता श्वेता तंवर पत्नि शिवराज सिंह राजपूत हि0 85/582 सा0 देह।

(स) ग्राम श्रीनाल तह0 मांगरोल जिला बारां में स्थित खाता संख्या 17 चक ब में दर्ज आराजी में सहखातेदारान का हिस्सा निम्न प्रकार से दिए जाने का आदेश दिया जाता है:– "जितेंन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह राजपूत हिस्सा 5/48, जयसिंह शिवराजसिंह पुत्रान प्रहलाद सिंह राजपूत हि0 1309/2808 छविकंवर पुत्री जितेन्द्र सिंह ना0बा0 जर्ये वली माता अम्बिका तंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह राजपूत हि0 1/48, राजेन्द्र सिंह, विजय बहादुर सिंह पुत्रान उम्मेद सिंह राजपूत हि0 1/6, यशस्वी तंवर पुत्री जयसिंह ना0बा0 जर्ये वली माता निशा तंवर पत्नि जयसिंह राजपूत हि0 85/702, आर्यवीर सिंह पुत्र शिवराज सिंह नाबा0 जर्ये वली माता श्वेता तंवर पत्नि शिवराज सिंह राजपूत हि0 85/702 सा0 देह" ।

तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।